

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 50 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 69

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

अभियुक्त :-

बनाम


श्री जगु तेली पुत्र श्री भेमा निवासी
सुरजपोल, मकरानीवाड़ा, बांसवाड़ा
(विक्रेता / मालिक) मैसर्स आशापुरा
रेस्टोरेन्ट, प्रगति नगर, गुरु गोविन्द सिंह
कॉलेज के पिछे, जिला बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24-06-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 09-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-09-2023 को 1.30 पी.एम. बजे मैसर्स आशापुरा रेस्टोरेन्ट, प्रगति नगर, गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज के पिछे, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री जगु तेली पुत्र श्री भेमा उपस्थित थे। मैसर्स आशापुरा रेस्टोरेन्ट, प्रगति नगर, गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज के पिछे, जिला बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (लूज) एक पीपे में लगभग 12 लीटर रखा पाया। इसमें मिलावट का संदेह होने पर खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (लूज) जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (लूज) 2 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 520/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (लूज) 2 लीटर को साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1590 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा

ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard पाया गया खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री जगु तेली पुत्र श्री भेमा निवासी सुरजपोल, मकरानीवाडा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स आशापुरा रेस्टोरेन्ट, प्रगति नगर, गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज के पिछे, जिला बांसवाडा (राज.) 3000/- (अक्षरे रू तीन हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24-06-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)